प्रभातराम बनाम हरदेव सिंह वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर अफ़सर प्र०क्र०-381/2013
27-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते हैं, बहस हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25-4-2018 को पेश हो।
25-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। बहस हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत कैम्प - सरगोठ में दिनांक 04-05-2018 को पेश हो।
04.05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– सरगोठ के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में वादी प्रभातराम ने राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पक्षकार प्रभातराम के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रकरण पूर्व से ही बहस में विचाराधीन चल रहा है। प्रकरण के बहस में विचाराधीन होने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.60 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सरगोठ

उपखण्ड अधिकारी

प्रभातराम बनाम हरदेव सिंह वगै०

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज यू०न० - 381/2013	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसके हिस्सा 11/15 दर हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा हिस्सा 4/15 दर हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा खातेदारी की भूमि हिस्सा 11/15 दर हिस्सा 1/4 में से रकबा 0.03 हैक्टर भूमि का बैचान दिनांक 9.11.94 को वादी को कर दिया तथा कब्जा संभला दिया था तथा ईकरारनामा तहरीर तकमील करवाकर गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दिया गया था॥ वादी उक्त भूमि रकबा 0.03 हैक्टर पर बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी होने से वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चूकी है एंव प्रतिवादी नम्बर 1 के फौत हो जाने पर उनके वारिसान् कायम मुकामान् के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। साक्ष्य वादी में वादी का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादी गवाह में चौथूराम व मुरलीराम ने शपथ पत्र पेश कर वादी के वादपत्र का समर्थन किया है। वादपत्र में अंकित विवरणानुसार वादी प्रभात ने प्रतिवादी हरदेवसिंह से खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.06 हैक्टर में से आधी भूमि 0.03 हैक्टर जरिये इकरारनामा दिनांक 09.11.1994 के द्वारा प्रतिफल राशि 20,000/- रूपये पर कय कर कब्जा सम्भलाने बाबत तथा उक्त 0.03 हैक्टर भूमि का मालिक भविष्य में प्रभातराम ही होने बाबत ईकरारनामा में स्पष्ट अंकित किया है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि वादपत्र में अंकित भूमि 0.03 हैक्टर जरिये ईकरारनामा से कय किया जाना विदित होता है। जो ईकरारनामा की प्रति से भी स्पष्ट होता है।

अतः वादी द्वारा पेश वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान- 2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प -सरगोठ में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.60 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

प्रभातराम बनाम इन्द्रेन सिंह व०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु० नं० - 381/2013
	अवस्थित तन् ग्राम सरगोठ पटवार हल्का सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 11/15 दर हिस्सा 1/4 की भूमि में से वादी को भूमि रकबा 0.03 हैक्टर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से प्रतिवादी का नाम हजफ किया जाकर शेष भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रखी जाती है। उक्त घोषित रकबा 0.03 हैक्टर की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र सरगोठ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। [हस्ताक्षर] (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–सरगोठ उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner